

आदेश

1-3-2

पत्रावली नया उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ से प्रखानानालिका के लिए प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्टर होकर पूर्व निष्पत्ति पेशी का प्रेषण हो

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.) नवलगढ़

9/1/2

वकील उमय पत्र उपा. बाहेर जवाब का पत्र है। पुना अंतरा चाहे पर मिश्रल डिनाउ 31/1/21 के प्रेषण की

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.) नवलगढ़

13/1/2

पत्रावली फोरना लाउ उपा. वीने से काज पेशा हुई। वकील पत्रा चरण उपा. बाहेर उपाव प्राण पत्रा है। पुना अंतरा चाहे पर मिश्रल डिनाउ 31/1/21 के प्रेषण की

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.) नवलगढ़

31/1/2

वकील पक्षकारान उपा. बाहेर जवाब का पत्र है। अंतरा चाहे पर मिश्रल डिनाउ 31/1/21 के प्रेषण की

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.) नवलगढ़

3/3/2

पत्रावली पेशा हुई। वकील एवं वकील नारी के बार-बार रुक-रुक उपा. आवण लगवाई गई, परन्तु इनकी मौर से कोई भी उपलब्ध न्यायालय नहीं। इसके जाहिर होना है कि नारी को मपने बाद में रुकित नहीं है। सिध्दा बाद नारी अदम हाजरी एवं अदम पेशी में अर्जित किया जाता है। पत्रावली केवल सुमर केवल के अवर से उम है तथा बाद तदमील जाहिर दायित्व दफ्तर से। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.) नवलगढ़